बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

।। अधिसूचना ।।

संख्या......678......   पटना, दिनांक......12/2/14

भारत–संविधान के अनुच्छेद–309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल बिहार शिक्षा सेवा का पुनर्गठन करते हुए, उसमें भर्ती एवं प्रोन्नति की प्रक्रिया तथा सेवा शर्तो के निर्धारणार्थ, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

बिहार शिक्षा सेवा नियमावली, 2014

भाग–1 : प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।– (1) यह नियमावली ''बिहार शिक्षा सेवा नियमावली, 2014'' कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ। – जबतक विषय या संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:–

(i) ''नियुक्ति प्राधिकार'' से अभिप्रेत है बिहार–राज्यपाल ;

(ii) ''सेवा'' से अभिप्रेत है बिहार शिक्षा सेवा ;

(iii) ''उप संवर्ग'' से अभिप्रेत है बिहार शिक्षा सेवा के उप संवर्ग यथा – प्रशासन उप संवर्ग, शिक्षण उप संवर्ग तथा शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग एवं बिहार शिक्षा सेवा (एकाकी उप संवर्ग) ;

(iv) 'विभाग' से अभिप्रेत है शिक्षा विभाग ;

(v) 'आयोग' से अभिप्रेत है बिहार लोक सेवा आयोग ;

(vi) "कोटि" से अभिप्रेत है बिहार शिक्षा सेवा के सभी संवर्गो के विभिन्न पदों की कोटि (ग्रेड) ;

(vii) "वरीयता सूची" से अभिप्रेत है बिहार शिक्षा सेवा के सभी संवर्गो के लिए तैयार की गयी अलग–अलग वरीयता सूची ;

(viii) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार राज्य सरकार।

(ix) "अध्यापक शिक्षक" से अभिप्रेत है शोध एवं अध्यापन संवर्ग में नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारी।

(**x**) अवर शिक्षा सेवा से अभिप्रेत है –

(क) अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा)– पुरुष एवं महिला संवर्ग

(ख) अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा)

3. सेवा का गठन। – बिहार शिक्षा सेवा राज्य सेवा होगी। इस सेवा में निम्नलिखित चार उप संवर्ग होंगे :–

(क) बिहार शिक्षा सेवा (प्रशासन उप संवर्ग),

(ख) बिहार शिक्षा सेवा (शिक्षण उप संवर्ग) (मरणशील संवर्ग) ;

(ग) बिहार शिक्षा सेवा (शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग) ; एवं

(घ) बिहार शिक्षा सेवा (एकाकी उप संवर्ग) ।

4. किसी एक उप संवर्ग के पदाधिकारी का दूसरे उप संवर्ग में स्थानांतरण एवं पदस्थापन नहीं किया जा सकेगा।

भाग–2 : प्रशासन उप संवर्ग

5. प्रशासन संवर्ग का पदबल। – प्रशासन उप संवर्ग में विभिन्न कोटियॉ, उनका पदबल एवं प्रोन्नति के पद–सोपान निम्नवत् होगें:–

(क) **मूल कोटि के पद** :–

(i) कार्यक्रम पदाधिकारी (जिला स्तर)

(ii) कार्यक्रम पदाधिकारी (प्रमण्डल स्तर)

(iii) सहायक सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

(iv) अवकाश रक्षित पदाधिकारी (मुख्यालय)

(v) अवकाश रक्षित पदाधिकारी (जिला स्तर)

(ख) प्रोन्नति के प्रथम स्तर के पद

(i) सहायक निदेशक (मुख्यालय)

(ii) परीक्षा नियंत्रक, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना

(iii) जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

(ग) प्रोन्नति के द्वितीय स्तर के पद

(i) उप निदेशक (मुख्यालय)

(ii) सचिव, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना

(iii) सचिव, बिहार राज्य मदरसा बोर्ड, पटना

(iv) सचिव, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति

(v) जिला शिक्षा पदाधिकारी

(घ) प्रोन्नति के तृतीय स्तर के पद

(i) निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण

(ii) विशेष निदेशक (माध्यमिक)

(iii) संयुक्त निदेशक

(iv) क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक

6. (1) उपर्युक्त पदों का वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे–सरकार द्वारा निर्धारित किये जायेगें जो समय–समय पर किये जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे।

(2) सभी कोटियों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) सरकार समय–समय पर उक्त कोटियों में नये पदों का सृजन या पदों का उत्क्रमण या समापन या संवर्ग का पुनर्गठन कर सकेगी।

(4) उल्लिखित पदों पर पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत पदाधिकारी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

7. नियुक्ति की प्रक्रिया। – (1) इस उप संवर्ग में नियुक्ति मूल कोटि में होगी। मूल कोटि के पदबल का 50% पद सीधी भर्ती से तथा 50% पद अवर शिक्षा सेवा (प्राथमिक शाखा) के पात्र पदाधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्ति से भरा जायेगा।

(2) अर्हत्ता– (i) सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष उत्तीर्ण होगी।

(ii) न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा आरक्षण कोटिवार समय–समय पर विनिश्चित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

8. (1) विभाग, प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस के बाद 50% सीधी भर्ती के लिए और 50% प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए रिक्तियों की आरक्षण कोटिवार अधियाचना, आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(2) सीधी भर्त्ती हेतु प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। नियुक्ति आयोग द्वारा संचालित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में की जायेगी ;

परन्तु यह कि यदि किसी कारण से आयोग प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किसी वर्ष या किन्हीं वर्षों में नहीं कर पाये तो आयोग उस वर्ष या उन वर्षो के लिए, जिनके लिए परीक्षाएँ उस वर्ष या उन वर्षो में आयोजित नहीं हो सकी हों, प्रतियोगिता परीक्षा सम्मिलित रुप से आयोजित कर सकेगा ;

परन्तु यह भी कि यदि अधियाचना के अनुसार एक वर्ष से अधिक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती हो तो आयोग उस वर्ष विशेष या उन वर्षो के लिए एक ही प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा और जिस वर्ष–विशेष या वर्षो की परीक्षाएँ आयोजित नहीं हो सकी थीं उनकी रिक्तियों को, सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ, एक

साथ मिलाया जा सकेगा और सम्मिलित रुप से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक भर्ती वर्ष के लिए अलग–अलग मेधा सूची बनायी जाय ;

परन्तु यह और कि यदि विशेष स्थिति के तौर पर किसी वर्ष–विशेष या किन्हीं वर्षो के लिए सम्मिलित रुप से प्रतियोगिता परीक्षा संचालित की जा रही हो तो अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा में छूट का पात्र होगा, वशर्ते कि ऐसा अभ्यर्थी उस वर्ष–विशेष में पात्र रहा हो जिसके लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा संचालित की जा रही हो।

(3) पंचांग वर्ष की रिक्ति के शेष 50% पदों को, आयोग के अध्यक्ष/सदस्य की अध्यक्षता में गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर, अवर शिक्षा सेवा (प्रा0 शा0) के पात्र पदाधिकारियों की प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति से भरा जायेगा, जिसे सीधी नियुक्ति माना जायेगा।

9. आरक्षण। – सीधी भर्ती एवं प्रोन्नति में, सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

10. परिवीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण। – (1) सीधी भर्ती से नियुक्त किये गये पदाधिकारियों के लिए परिवीक्षा अवधि, योगदान की तिथि के प्रभाव से दो वर्षो के लिए होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे पदाधिकारी को सेवामुक्त कर सकेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि में पदाधिकारी को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेंडर एवं पाठ्यक्रम विभाग द्वारा अलग से निर्धारित किया जायेगा। परिवीक्षा अवधि में ही पदाधिकारी को बी0 एड0 पाठ्यक्रम भी सफलतापूर्वक पूरा करना होगा जो भर्ती के उपरांत आवश्यक शैक्षणिक अर्हत्ता होगी।

11. विभागीय परीक्षा। – (1) परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रुप में पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और बी0 एड0 का पाठ्यक्रम पूरा करने के अतिरिक्त पदाधिकारी को विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा।

(2) विभागीय परीक्षा परिशिष्ट–1 के अनुसार होगी।

12. सम्पुष्टि। – परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रुप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने, बी0 एड0 का पाठ्यक्रम पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी।

13. वरीयता सूची। – (1) इस उप संवर्ग के पदाधिकारियों की पृथक वरीयता सूची होगी।

(2) इस उप संवर्ग के पदाधिकारियों की आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरुप होगी।

14. प्रोन्नति। – (1) सेवा में सम्पुष्ट पदाधिकारियों को, पद की उपलब्धता एवं वरीयता के अधीन रहते हुए उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति पर विचारार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित, कालावधि का पूरा होना आवश्यक होगा।

(3) प्रोन्नति, चारित्री/पी0ए0आर0 एवं आरोप/विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन, प्रोन्नति पर विचार करते समय, किया जायेगा।

(4) सरकार के आरक्षण अधिनियम और प्रोन्नति संबंधी आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा। एतदर्थ, प्रोन्नति पर विचार के पूर्व सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लीयरंस करा लेना होगा।

15. विभागीय प्रोन्नति समिति। – (1) प्रोन्नतियॉ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

परन्तु यह कि मूल कोटि और उच्चतम ग्रेड–पे में प्रोन्नति पर विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष/सदस्य द्वारा की जायेगी।

16. स्थानांतरण/पदस्थापन। – इस उप संवर्ग के पदाधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन प्रशासन संवर्ग के ही पदों पर किया जायेगा।

भाग–3 : शिक्षण उप संवर्ग

17. बिहार शिक्षा सेवा (शिक्षण उप संवर्ग) की विभिन्न कोटियॉ एवं पदबल

[अवर शिक्षा सेवा (शिक्षण शाखा) के पदों का बिहार शिक्षा सेवा वर्ग–2 में उत्क्रमण के फलस्वरुप]

शिक्षण उप संवर्ग में विभिन्न कोटियॉ एवं प्रोन्नति के पद सोपान निम्नानुसार होंगे:–

(क) मूल कोटि के पद :

(i) शिक्षक, राजकीय उच्च विद्यालय/
व्याख्याता, महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय

(ख) प्रोन्नति के प्रथम स्तर के पद –

(i) व्याख्याता

(ग) प्रोन्नति के द्वितीय स्तर के पद–

(i) वरीय व्याख्याता

(घ) प्रोन्नति के तृतीय स्तर के पद –

(i) प्राचार्य

(ii) उप प्राचार्य

(iii) वरीय प्राध्यापक

18. (1) वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे, सरकार द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे।

(2) सभी कोटियों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) सरकार समय–समय पर उक्त कोटियों में नये पदों का सृजन या पदों का उत्क्रमण या समापन या संवर्ग का पुनर्गठन कर सकेगी।

(4) यह उप संवर्ग मरणशील उप संवर्ग होगा अर्थात् इस उप संवर्ग के पदधारकों के अनिवार्य सेवानिवृति, स्वेच्छिक सेवा निवृत्ति, मृत्यु, बर्खास्तगी, पदच्युति, प्रोन्नति, पदावनति इत्यादि कारणों से संबंधित पदाधिकारी द्वारा पद रिक्त किए जाने के फलस्वरुप उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे।

(5) उल्लिखित पदों पर पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत पदाधिकारी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

19. नियुक्ति। – इस उप संवर्ग में सीधी भर्ती नहीं होगी। मूल कोटि में प्रोन्नति द्वारा भी रिक्तियों को नहीं भरा जायेगा।

20. सम्पुष्टि। – जो पदाधिकारी उल्लिखित पदों पर कार्यरत हैं और जिनकी सेवा सम्पुष्ट नहीं है, उन्हें परिशिष्ट–1 के अनुसार विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

21. वरीयता सूची। – इस उप संवर्ग के पदाधिकारियों की पृथक वरीयता सूची होगी।

22. प्रोन्नति। – (1) सेवा में सम्पुष्ट पदाधिकारियों को, पद की उपलब्धता एवं वरीयता के अधीन रहते हुए उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति पर विचारार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि का पूरा होना आवश्यक होगा।

(3) प्रोन्नति, चारित्री/पी0 ए0 आर0 एवं आरोप/विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन, प्रोन्नति पर विचार करते समय, किया जायेगा।

(4) सरकार के आरक्षण अधिनियम और प्रोन्नति संबंधी आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा। एतदर्थ प्रोन्नति पर विचार के पूर्व सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लीयरेंस करा लेना होगा।

23. विभागीय प्रोन्नति समिति। – (1) प्रोन्नतियॉ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

परन्तु यह कि उच्चतम ग्रेड–पे में प्रोन्नति पर विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष/सदस्य द्वारा की जायेगी।

24. स्थानांतरण/पदस्थापन। – इस उप संवर्ग के पदाधिकारियों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन शिक्षण संवर्ग के ही पदों पर किया जायेगा।

भाग–4 : शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग

25. शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग का पदबल। – इस उप संवर्ग में विभिन्न कोटियाँ, उनका पदबल एवं प्रोन्नति के पद सोपान निम्नवत् होगें:–

शोध एवं अध्यापन उप संवर्ग में बिहार शिक्षा सेवा की विभिन्न कोटियॉ एवं पदबल:–

(क) मूल कोटि के पद

(i) व्याख्याता, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
(ii) व्याख्याता, प्रखंड अध्यापक शिक्षा संस्थान
(iii) व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(iv) व्याख्याता, आर्ट्स एवं क्राफ्ट, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(v) व्याख्याता, स्वास्थ्य एवं शारिरिक शिक्षा, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(vi) व्याख्याता, आर्ट्स एवं क्राफ्ट, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
(vii) व्याख्याता, स्वास्थ्य एवं शारिरिक शिक्षा, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय

(ख) प्रोन्नति के प्रथम स्तर के पद

(i) व्याख्याता अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
(ii) व्याख्याता राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्
(iii) वरीय व्याख्याता जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(iv) उप प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(v) प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
(vi) प्राचार्य, प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान

(ग) प्रोन्नति के द्वितीय स्तर के पद

(i) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
(ii) वाचक, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
(iii) वाचक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्

(घ) प्रोन्नति के तृतीय स्तर के पद

(i) निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना

(ii) प्राचार्य, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय

(iii) प्रोफेसर, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्

(iv) संयुक्त निदेशक, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद्, पटना

26. (1) वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे, सरकार द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे।

(2) सभी कोटियों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) सरकार समय–समय पर उक्त कोटियों में नये पदों का सृजन या पदों का उत्क्रमण या समापन या संवर्ग का पुनर्गठन कर सकेगी।

(4) उल्लिखित पदों पर पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत पदाधिकारी इस उप संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

27. उल्लिखित पदों पर पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं तदनुसार इस उप संवर्ग में कार्यरत पदाधिकारी जो इन पदों के लिए निर्धारित अर्हता को धारित करेंगे, इस उप संवर्ग में सम्मिलित होने का विकल्प दे सकेंगे। वांछित योग्यता नहीं होने अथवा संवर्ग में सम्मिलित होने हेतु विकल्प नहीं देने की स्थिति में अथवा प्रतिनियुक्ति के आधार पर कार्यरत होने की दशा में अपने मूल संवर्ग में वापस हो जाएँगे अन्यथा यदि वह इसी पद हेतु नियुक्त हुए हों, तो वह अपने द्वारा धारित पद पर बने रहेंगे, परन्तु उन्हें नियमित प्रोन्नति का लाभ देय नहीं होगा।

<u>28. नियुक्ति की प्रक्रिया।</u> – (1) मूल कोटि में नियुक्ति निम्नवत की जाएगी :

i) मूल कोटि के 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति सीधी भर्ती से की जाएगी।

ii) शेष 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति राज्य के सरकारी विद्यालयों में कार्यरत वैसे शिक्षकों जिनकी सेवा अवधि 3 वर्षों से कम की न हो तथा पद के लिए निर्धारित अर्हता धारित करते हों, से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। उन्हें अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्षो की छूट अनुमान्य होगी।

iii) नियुक्ति हेतु मूल कोटि में पदों की गणना विषयवार रिक्ति के आधार पर की जायेगी और नियुक्ति भी विषयवार की जाएगी।

(2) न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता । – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंको के साथ स्नातकोत्तर की योग्यता तथा आवश्यकतानुसार विशिष्ट विषय में उत्तीर्णता के साथ–साथ एम0 एड0 में 55 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्णता भी होगी।

परन्तु यह कि विषयवार पदो के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार विशिष्ट अर्हता निर्धारित करने के लिए विभाग सक्षम होगा।

(3) न्यूनतम आयु सीमा। :– 21 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा आरक्षण कोटिवार समय–समय पर विनिश्चित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जाएगा।

(4) विभाग, प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर विषयवार रिक्तियों की गणना कर विषयवार रोस्टर क्लीयरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार 50 प्रतिशत पदो पर नियुक्ति सीधी भर्ती के माध्यम से करने एवं 50 प्रतिशत पदों पर नियुक्ति शिक्षकों के सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से करने हेतु अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(5) प्राप्त अधियाचना के आलोक में सीधी भर्ती हेतु एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा। परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी।

परन्तु यह कि यदि किसी कारण से आयोग प्रतियोगिता परीक्षा (सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) को आयोजन किसी वर्ष या किन्हीं वर्षों में नहीं कर पाये तो आयोग उस वर्ष या उन वर्षों के लिए, जिनके लिए परीक्षाएँ उस वर्ष या उन वर्षों में आयोजित नहीं हो सकी हों, प्रतियोगिता परीक्षा सम्मिलित रूप से आयोजित कर सकेगा;

परन्तु यह भी कि यदि अधियाचना के अनुसार एक वर्ष से अधिक के लिए प्रतियोगिता परीक्षा (सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) आयोजित की जाती हो तो आयोग उस वर्ष विशेष या उन वर्षों के लिए एक ही प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर सकेगा और जिस वर्ष–विशेष या वर्षों की परीक्षाएँ आयोजित नहीं हो सकी थीं उनकी रिक्तियों को सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची बनाने के प्रयोजनार्थ एक साथ मिलाया जा सकेगा और सम्मिलित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किये जाने की स्थिति में यह आवश्यक नहीं होगा कि प्रत्येक भर्ती वर्ष के लिए अलग–अलग मेधा सूची बनाई जाए;

परन्तु यह और कि यदि विशेष स्थिति के तौर पर यदि किसी वर्ष–विशेष या किन्हीं वर्षों के लिए सम्मिलित रूप से प्रतियोगिता परीक्षा (सीधी भर्ती एवं सीमित प्रतियोगिता परीक्षा) संचालित की जा रही हो तो अभ्यर्थी अधिकतम आयु सीमा में छूट का पात्र होगा, बशर्ते कि ऐसा अभ्यर्थी उस विशेष वर्ष में पात्र रहा हो जिसके लिए सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा संचालित की जा रही हो।

(6) नियुक्ति के लिए विषयवार पदों की गणना विभाग द्वारा किया जायेगा।

29. उच्चतर पदों पर नियुक्ति :– उच्चतर रिक्त पदों पर एक बार (One time) सीधी नियुक्ति आयोग की अनुशंसा पर की जा सकेगी।

30. आरक्षण। – सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नियुक्ति में करना अनिवार्य होगा।

31. परिवीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण। – (1) सीधी भर्ती अथवा सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति, योगदान की तिथि से दो वर्षों के लिए, परिवीक्षा के आधार पर होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाएगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे अध्यापक शिक्षकों को सेवा मुक्त कर सकेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि में अध्यापक शिक्षक को राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा आयोजित इन्डक्सन प्रशिक्षण एवं बिपार्ड द्वारा आयोजित डी0 टी0 एस0 एवं डी0 ओ0 टी0 प्रशिक्षण एवं विभाग/राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा निर्धारित अन्य प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करना अनिवार्यता होगी। प्रशिक्षण का कैलेंडर अलग से निर्धारित किया जाएगा।

32. विभागीय परीक्षा। – (1) परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के अतिरिक्त अध्यापक शिक्षकों को विभागीय परीक्षा में भी उतीर्ण होना होगा।

(2) विभागीय परीक्षा परिशिष्ट – 1 के अनुसार होगी।

33 सम्पुष्टि। – परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, निर्धारित सभी प्रशिक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा करने और विभागीय परीक्षा उतीर्ण होने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी।

34 वरीयता सूची। – इस उप संवर्ग के अध्यापक शिक्षकों की पृथक वरीयता सूची होगी जो निम्नवत तैयार की जाएगी –

(i) मूल कोटि के पदों पर नियुक्त सभी अध्यापक शिक्षकों की सम्मिलित वरीयता सूची जो परीवीक्षा के आधार पर मेधा क्रम में नियुक्ति की तिथि के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(ii) मूल कोटि के विषयवार पदों पर नियुक्त अध्यापक शिक्षकों की विषयवार अलग–अलग वरीयता सूची जो परीवीक्षा के आधार पर मेधा क्रम में विषयवार पदों पर नियुक्ति की तिथि से अवधारित की जाएगी।

35. प्रोन्नति। – (1) सेवा में सम्पुष्ट अध्यापक शिक्षकों को पदों की उपलब्धता, उच्चतर पदों की निर्धारित अर्हत्ता को धारित करने एवं वरीयता के अधीन रहते हुए उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा। उच्चतर पदों के लिए अर्हत्ता का निर्धारण अलग से किया जाएगा।

परन्तु यह कि प्रोन्नति हेतु उपलब्ध उच्चतर पदों के लिए निर्धारित अर्हता धारित करनेवाले वरीय अध्यापक शिक्षक के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में वरीयता क्रमांक के नीचे के अर्हत्ताधारी अध्यापक शिक्षक की प्रोन्नति दी जा सकेगी।

(2) प्रोन्नति हेतु न्यूनतम कालावधि वही होगी जो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जायेगी।

(3) प्रोन्नति के प्रथम स्तर के निर्धारित पदों, (i) वरीय व्याख्याता, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए निर्धारित पदों, (ii) प्राचार्य, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के लिए निर्धारित पदों एवं (iii) प्राचार्य, प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिए निर्धारित पदों के विरूद्ध प्रोन्नति मूल कोटि की सम्मिलित वरीयता सूची से तथा (i) व्याख्याता, अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय के लिए निर्धारित पदों एवं (ii) व्याख्याता, राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के लिए निर्धारित पदों के विरूद्ध प्रोन्नति विषयवार तैयार वरीयता सूची से दी जाएगी।

(4) प्रोन्नति के द्वितीय एवं तृतीय स्तर के पदों पर प्रोन्नति मूल कोटि की सम्मिलित वरीयता सूची के आधार पर दी जाएगी।

(5) प्रोन्नति के तृतीय स्तर के पदो के लिए निर्धारित न्यूनतम अर्हता शिक्षा शास्त्र में पीएच0 डी0 की होगी। प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पद पर पदस्थापन में शैक्षिक योजना एवं प्रशासन में डिप्लोमाधारी (Diploma in Educational Planning and Administration) को प्राथमिकता दी जाएगी।

(6) प्रोन्नति, चारित्री/पी0 ए0 आर0 एवं आरोप/विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन, प्रोन्नति पर विचार करते समय किया जाएगा।

(7) सरकार के आरक्षण अधिनियम और प्रोन्नति संबंधी आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा। एतदर्थ प्रोन्नति पर विचार के पूर्व सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लीयरेंस करा लेना होगा।

36. विभागीय प्रोन्नति समिति। – (1) प्रोन्नतियाँ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

परन्तु यह कि उच्चतम ग्रेड–पे में प्रोन्नति पर विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष/सदस्य के द्वारा की जाएगी।

37. दक्षता संवर्धन। – (1) इस उप संवर्ग के अध्यापक शिक्षकों के विशेष दक्षता संवर्धन हेतु अधिकतम दो वर्षों तक के लिए सवैतनिक अवकाश की स्वीकृति विभाग के द्वारा दी जा सकेगी।

परन्तु यह कि अध्यापक शिक्षक की सेवा संपुष्ट हो और उनके विरूद्ध किसी प्रकार का आरोप नहीं हो।

(2) अध्यापक शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार के राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार, सभा एवं गोष्ठी आदि में पेपर पढ़ने हेतु भाग ले सकेंगे और इस हेतु संस्थान से बाहर बिताई गई अवधि को कार्यरत अवधि माना जाएगा।

परंतु यह है कि इस प्रकार के सेमिनार, सभा एवं गोष्ठी आदि में भाग लेने हेतु विभाग से अनुमति प्राप्त कर लिया गया हो।

38. स्थानान्तरण/पदस्थापन। – इस उप संवर्ग के अध्यापक शिक्षकों का स्थानान्तरण एवं पदस्थापन विशेष परिस्थिति में अध्यापक शिक्षा संवर्ग के ही पदों पर किया जा सकेगा।

भाग–5 : बिहार शिक्षा सेवा (एकाकी (Isoleted) उप संवर्ग

39. एकाकी पदों का विवरण एवं पद सोपान। –

बिहार शिक्षा सेवा में एकाकी उप संवर्ग में पदों का विवरण एवं पद सोपान निम्नवत् होगें:–

(क) अरबी फारसी शोध संस्थान, पटना

क्र0 सं0	पद का नाम	श्रेणी
1	2	3
1	व्याख्याता	मूल कोटि
2	प्राध्यापक	प्रोन्नति का प्रथम सोपान
3	निदेशक	प्रोन्नति का द्वितीय सोपान

(ख) काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान, पटना

क्र0 सं0	पद का नाम	श्रेणी
1	2	3
1	शोध सहायक एवं सहायक निदेशक	मूल कोटि
2	वरीय शोध सहायक	प्रोन्नति का प्रथम सोपान
3	निदेशक	प्रोन्नति का द्वितीय सोपान

(ग) प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा शोध संस्थान, वैशाली

क्र0 सं0	पद का नाम	श्रेणी
1	2	3
1	व्याख्याता एवं शोध पदाधिकारी	मूल कोटि
2	प्राध्यापक	प्रोन्नति का प्रथम सोपान
3	निदेशक	प्रोन्नति का द्वितीय सोपान

(घ) राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना

क्र0 सं0	पद का नाम	श्रेणी
1	2	3
1	बिहार शिक्षा सेवा के पद	मूल कोटि
2	उप निदेशक	प्रोन्नति का प्रथम सोपान
3	वरीय उप निदेशक	प्रोन्नति का द्वितीय सोपान

(ड़) मदरसा इस्लामिया शमसूल होदा, पटना

क्र0 सं0	पद का नाम	श्रेणी
1	2	3
1	सहायक मौलवी/सहायक शिक्षक	मूल कोटि
2	मौलवी	प्रोन्नति का प्रथम सोपान
3	प्राचार्य	प्रोन्नति का द्वितीय सोपान

40. (1) उक्त पदों का वेतन बैंड एवं ग्रेड–पे, सरकार द्वारा समय–समय पर किये जाने वाले वेतन पुनरीक्षण के आलोक में परिवर्तनीय होंगे।

(2) सभी कोटियों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित किया जायेगा।

(3) सरकार समय–समय पर उक्त कोटियों में नये पदों का सृजन या पदों का उत्क्रमण या समापन या संवर्ग का पुनर्गठन कर सकेगी।

(4) उल्लिखित पदों पर पूर्व से नियुक्त/प्रोन्नत एवं कार्यरत पदाधिकारी इस संवर्ग में स्वतः शामिल समझे जायेंगे।

(5) संस्थान के पदाधिकारियों की प्रोन्नति एवं पदस्थापन संबंधित संस्थान के अंतर्गत ही होगी।

41. नियुक्ति की प्रक्रिया।– (1) नियुक्ति मूल कोटि में सीधी भर्ती से होगी।

(2) निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हत्तायें रहना आवश्यक होगा :–

(i) संबंधित विषय में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर डिग्री (कम–से–कम सेकंड क्लास)।

(ii) प्रतिष्ठा (आनर्स) या अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं के साथ डाक्टरेट डिग्री धारण करनेवाले को प्राथमिकता दिया जायेगा।

(3) न्यूनतम आयुसीमा 21 वर्ष और अधिकतम आयुसीमा वही होगी जो सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा आरक्षण कोटिवार समय–समय पर विनिश्चित की जाय। संबंधित वर्ष की 1ली अगस्त को, उम्र के निर्धारणार्थ, कट ऑफ डेट माना जायेगा।

(4) विभाग, प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर रोस्टर क्लीयरेंस के बाद आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा।

(5) प्राप्त अधियाचना के आलोक में आयोग सीधी भर्ती हेतु रिक्तियों को विज्ञापित करेगा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा एवं तत्पश्चात् साक्षात्कार के आधार पर आयोग द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जायेगी।

42. आरक्षण।– सरकार के आरक्षण अधिनियम के प्रावधानों और सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय–समय पर निर्गत आरक्षण रोस्टर का अनुपालन नियुक्ति में करना अनिवार्य होगा।

43. परिवीक्षा अवधि एवं प्रशिक्षण।– (1) नियुक्ति, योगदान की तिथि से दो वर्षो के लिए, परिवीक्षा के आधार पर होगी। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं पाये जाने की दशा में परिवीक्षा अवधि का विस्तार एक वर्ष के लिए किया जा सकेगा। यदि विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जायेगी तो नियुक्ति प्राधिकार ऐसे पदाधिकारी को सेवामुक्त कर सकेगा।

(2) परिवीक्षा अवधि में पदाधिकारी को विभाग द्वारा विहित सांस्थिक या अन्य प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। प्रशिक्षण का कैलेन्डर एवं पाठ्यक्रम अलग से निर्धारित किया जायेगा।

44. विभागीय परीक्षा। – (1) परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रुप में पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के अतिरिक्त पदाधिकारी को निर्धारित विभागीय परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना होगा।

45. सम्पुष्टि।– परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रुप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने, बी0 एड0 का पाठ्यक्रम पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर सेवा में सम्पुष्टि की जा सकेगी।

46. वरीयता सूची।– इन पदों पर नियुक्त पदाधिकारियों की वरीयता सूची संस्थान के अनुसार पृथक–पृथक होगी। वरीयता का अवधारणा परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति की तिथि के अनुसार होगी।

47. प्रोन्नति।– (1) सेवा में सम्पुष्ट पदाधिकारियों को पद की उपलब्धता एवं वरीयता के अधीन रहते हुए उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दिये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) प्रोन्नति पर विचारार्थ, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्धारित कालावधि का पूरा होना आवश्यक होगा।

(3) प्रोन्नति, चारित्री/पी0 ए0 आर0 एवं आरोप/विभागीय कार्यवाही/आपराधिक कार्यवाही संबंधी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन, प्रोन्नति पर विचार करते समय किया जायेगा।

(4) सरकार के आरक्षण अधिनियम और प्रोन्नति संबंधी आरक्षण रोस्टर का अनुपालन आवश्यक होगा। एतदर्थ प्रोन्नति पर विचार के पूर्व सक्षम प्राधिकार से रोस्टर क्लीयरेंस करा लेना होगा।

48. विभागीय प्रोन्नति समिति।– (1) सभी प्रोन्नतियॉ विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विचारणीय होंगी।

(2) विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।

परन्तु यह कि उच्चतम ग्रेड–पे में प्रोन्नति पर विचारार्थ विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष/सदस्य द्वारा की जायेगी।

49. स्थानांतरण/पदस्थापन।– चूँकि विभिन्न योग्यता के आधार पर एकाकी पदों पर नियुक्ति होगी, अतः एक संस्थान के पदाधिकारी दूसरे संस्थान में स्थानांतरित/पदस्थापित नहीं किये जा सकेंगे।

भाग–6 : प्रकीर्ण

50. इस नियमावली में जिन विषयों का प्रावधान नहीं हो सका है, उनके लिए सरकार की प्रासंगिक संहिता/नियमावली/संकल्प/अनुदेश के प्रावधान लागू होंगे अथवा सरकार द्वारा आवश्यक निदेश निर्गत किये जा सकेंगे।

51. शंकाओं का निराकरण।– यदि इस नियमावली के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई संशय हो तो विभाग को निर्देशित किया जायेगा, और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

52. कठिनाईयों का निराकरण।– यदि इस नियमावली के उपबंधों के कार्यान्वयन में कोई कठिनाई उत्पन्न हो तो विभाग को, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी किसी कठिनाई का निराकरण करने की शक्ति होगी।

53. निरसन एवं व्यावृति।– (1) इस सेवा के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व मे निर्गत सभी आदेश, अधिसूचना, संकल्प, अनुदेश आदि और निम्नांकित नियमावलियॉ, एतद् द्वारा निरसित की जाती है:–

(i) बिहार शिक्षा सेवा (श्रेणी–1) और बिहार शिक्षा सेवा (श्रेणी–2) भर्ती नियमावली, 1973 (समय–समय पर यथा संशोधित)

(ii) बिहार शिक्षा सेवा वर्ग–1 एवं 2 के लिए विभागीय परीक्षा नियमावली, 1973

(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी, उपर्युक्त आदेशों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, अनुदेशों और नियमावलियों के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस नियमावली द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गयी कार्रवाई समझी जायेगी, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0 / –

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक संख्या– 2 / एम10–18 / 13 (अंश) 698 पटना, दिनांक– 12/2/14

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी०डी० के साथ सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि गजट के अगामी अंक में इसे प्रकाशित करने की कृपा की जाय।

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव
12/02/2014

Rajesh/NIMAVAL
Final Draft
201419

परिशिष्ट–1

बिहार शिक्षा सेवा के लिए विभागीय परीक्षा

1. बिहार शिक्षा सेवा में नियुक्त पदाधिकारियों को, परिवीक्षा–नियुक्ति की तिथि से दो वर्षो के अंदर विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त करनी होगी। बिना इस विहित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सेवा में उनकी संपुष्टि नहीं होगी। साथ ही, ऐसे पदाधिकारी को, दूसरी वेतनवृद्धि तबतक नहीं मिलेगी जबतक वे विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर लेते।

2. कंडिका–1 के अनुसार रोकी गयी वेतनवृद्धि का असंचयात्मक प्रभाव होगा। अर्थात्, विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर पदाधिकारी की रोकी गयी वेतनवृद्धियॉ जोड़कर वेतन निर्धारित किया जायेगा।

3. विभागीय परीक्षा राजस्व पर्षद (केन्द्रीय परीक्षा समिति) द्वारा ली जायेगी। परीक्षा वर्ष में दो बार होगी और परीक्षा होने की तिथि से कम–से–कम दो माह पूर्व बिहार राजपत्र में तथा स्थानीय प्रमुख समाचार पत्रों में एतत्संबंधी सूचना केन्द्रीय परीक्षा समिति द्वारा प्रकाशित कर दी जायेगी।

4. विभागीय परीक्षा के निम्नलिखित विषय होंगे :–

(1) **शिक्षा संबंधी विधि** **– 150 अंक**

(i) बिहार शिक्षा संहिता।

(ii) बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियम।

(iii) बिहार माध्यमिक शिक्षा पर्षद अधिनियम (निरसन अधिनियम सहित)।

(iv) बिहार हाई स्कूल कन्ट्रोल एवं एडमिनिस्ट्रेशन अधिनियम।

(v) एल0 एस0 जी0 ऐक्ट, 1954 ।

(vi) पंचायती राज ऐक्ट।

Rajesh/NIMAYAL
Final Draft
201420

(vii) म्यूनिसिपल ऐक्ट।

(viii) शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत नियमावली, विनियमावली, आदेश, आदि।

(2) **शैक्षिक विकास** — **50 अंक**

(3) **सेवा नियम और लेखा संबंधी नियम** — **100 अंक**

(i) बिहार सेवा संहिता।

(ii) बिहार पेंशन नियमावली।

(iii) बिहार यात्रा भत्ता नियमावली।

(iv) बिहार वित्त नियमावली।

(v) बिहार कोषागार संहिता।

(vi) बिहार लेखा संहिता/नियम।

(vii) बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 ।

(viii) बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 ।

(4) **हिन्दी (लिखित परीक्षा)** — **200 अंक**

(i) टिप्पणी – 50 अंक

(ii) प्रारुपण– 50 अंक

(iii) अनुवाद –80 अंक (हिन्दी से अँग्रेजी– 40 अंक
एवं अँग्रेजी से हिन्दी–40 अंक)

(iv) वाक्यों की शुद्धि – 20 अंक

(50 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करनेवाले निम्न स्तर से एवं 60 प्रतिशत एवं उससे अधिक अंक प्राप्त करनेवाले उच्च स्तर से उत्तीर्ण घोषित किये जायेंगे।)

(5) **हिन्दी (मौखिक परीक्षा)** — **100 अंक**

मौखिक हिन्दी परीक्षा के विषय निम्नलिखित होंगेः–

(i) सामान्य विषयों पर वार्तालाप — 40 अंक

(ii) सामान्यतः व्यवहृत तकनीकी शब्दों
को व्यक्त करने की योग्यता की जॉच– 30 अंक

(iii) हिन्दी पांडुलिपि पढ़ने एवं उसका
अॅग्रेजी में मौखिक अनुवाद और अॅग्रेजी
पांडुलिपि पढ़ने एवं उसका हिन्दी में
मौखिक अनुवाद – 30 अंक

(50 प्रतिशत अंक प्राप्त करनेवाले निम्न स्तर से एवं 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करनेवाले उच्च स्तर से मौखिक परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित होंगे। हिन्दी में दोनों स्तरों से उत्तीर्णता घोषित होने के लिए पदाधिकारी की लिखित एवं मौखिक परीक्षा में अलग–अलग न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करना होगा।)

5. केन्द्रीय परीक्षा समिति परीक्षा संचालन संबंधी नियमावली बनायेगी। परीक्षाफल निम्नलिखित उत्तीर्णांक स्तर के रुप में प्रकाशित किया जायेगा :–

(i). उच्च स्तर – प्राप्तांक 60 प्रतिशत

(ii). निम्न स्तर – प्राप्तांक 40 प्रतिशत

टिप्पणी:–अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन–जाति के लिए उत्तीर्णांक 10 प्रतिशत कम रहेगा।

6. यदि कोई पदाधिकारी विभागीय परीक्षा के सभी पत्रों में एक ही बार में उत्तीर्णता प्राप्त नहीं कर पाता है तो अंतिम पत्र में उत्तीर्ण होने पर ऐसी परीक्षा के अगले दिन के प्रभाव से उसे विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण माना जायेगा।

7. बिहार शिक्षा सेवा के जिन पदाधिकारियों ने अभी तक विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है उन्हें इस नियमावली के प्रवृत होने की तिथि से तीन अवसर दिये जायेंगे। यदि वे इस अवधि में परीक्षा में उतीर्णता प्राप्त नहीं कर लेते तो उनकी सम्पुष्टि तबतक बाधित रहेगी जबतक वे परीक्षा में उतीर्ण नहीं हो जाते। ऐसे सभी पदाधिकारी की सम्पुष्टि की तिथि उतनी अवधि के बाद की तिथि होगी जितना विलंब उनके द्वारा विभागीय परीक्षा उतीर्ण करने में की गयी हो, बशर्ते कि यह विलंब ऐसे कारणों से न हुआ हो जो उनके वश के परे हो, जिसका निर्णय विभाग करेगा।

8. परीक्षा के विषय में विभाग द्वारा समय–समय पर किया गया परिवर्तन लागू होगा।

(अमरजीत सिन्हा)
प्रधान सचिव
12/02/2014

Rajesh/NIMAVAL
Final Draft
201423